रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-117/2022/1310/22-2-2022-17(314)/2017

लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विशुन कुमार (बन्दी संख्या-47009) पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, जो-रामनगर, थाना-महोली, जनपद-सीतापुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-639/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,147,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, बंदी द्वारा दिनांक 13.01.2022 तक 12 वर्ष, 07 माह, 12 दिन अपरिहार सजा 16 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा रिहाई का विरोध किए जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव ।

संख्या-117/2022/1310(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
3- पुलिस अधीक्षक सीतापुर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in